

न्यायालय म.प्र. राजस्व मंडल केन्द्र ग्वालियर केम्प उज्जैन (म.प्र.)

प्रकरण क्र. ~~1200~~ अपील - 4772/2018/366/अन्य

1. परेश राय पिता गोपाल कृष्ण
निवासी नीमनवासा तहसील व जिला उज्जैन
2. सत्यनारायण जायसवाल आत्मजू सच्चुलाल
जायसवाल
3. विवेक जायसवाल पिता सत्यनारायण जायसवाल
समस्त निवासीगण मालनवासा तहसील व
जिला उज्जैन 218 सीनियर एच.आई.जी.
महाश्वेतानगर उज्जैनअपीलार्थीगण
विरुद्ध
म.प्र. शासन द्वारा सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि
सीमा उज्जैनप्रत्यर्थी

श्री संभाशुभा कुंभार
अलि. हाउ उज्जैन
के.एम. प्ल. उज्जैन
24-7-18

24-7-18

अपील अंतर्गत धारा 12 नगर भूमि अधिकतम सीमा और विनियमन
अधिनियम, 1976 बनाराजी निर्णय दिनांक 26.05.2018 प्रकरण

क्र.223 अपील/2016-17

माननीय महोदय,

अपीलार्थीगण अधीनस्थ योग्य न्यायालय आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग
उज्जैन के द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.05.2018 प्रकरण क्र. 223/अपील/
2016-17 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निम्न आधारों पर अपील अंदर अवधि
प्रस्तुत करते हैं।

1. यह कि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय द्वारा पारित विवाद आदेश विधि एवं
विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।



2. यह कि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय द्वारा प्रकरण की परिस्थिति को

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - अपील-4772/2018/उज्जैन/अन्य

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08/08/2018	<p>अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मन्द्र चतुर्वेदी एवं प्रत्यर्थी शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री अजय निरंकारी उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि यह प्रकरण नगर भूमि अधिकतम सीमा और विनियमन अधिनियम 1976 का होने से त्रुटिवश इस न्यायालय में प्रस्तुत हो गया है। अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया जाए। विचारोपरांत आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार करते हुए प्रकरण उन्हें सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापस किया जाए।</p> <p></p> <p> प्रशासकीय सदस्य</p>	